न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –41 / 2024

सीमा बाई पत्नि सुनिल कुमार जैन जाति जैन उग्र बालिग निवासी ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला नीमच मध्य प्रदेश।

................प्रार्थीया

बनाम

1. अंगूरबाला शर्मा पत्नि दिलीप कुमार शर्मा जाति शर्मा ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
2. अंजना देवी पत्नि संजय कुमार गांधी जाति जैन ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
3. अशरफ हुसैन पुत्र बसीर हुसैन जाति मुसलमान ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
4. त्रिवेणी धाकड पत्नि अर्जुन धाकड जाति धाकड ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
5. दिलीप कुमार शर्मा पुत्र उंकारलाल शर्मा जाति शर्मा ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
6. पदम कुमार पुत्र सुन्दरलाल जैन जाति जैन ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
7. प्रकाशचन्द्र पुत्र सुन्दरलाल जैन जाति जैन ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
8. प्रशान्त मलिक पुत्र फुलकुमार मलिक जाति जाट ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
9. मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद ईसाक जाति मुसलमान ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
10. मोहम्मद साहिब पुत्र मोहम्मद ईशाक जाति मुसलमान ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
11. राजेन्द्र कुमार पुत्र सुन्दरलाल जैन जाति जैन ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
12. राजूल पत्नि अनिल जाति जैन ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
13. संगीता पत्नि पारस जैन जाति जैन ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
14. संजय कुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति गांधी ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
15. सुनील कुमार पुत्र बसन्तीलाल जैन जाति ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
16. सुशीला देवी पत्नि कैलाश चन्द जैन जाति जैन ग्राम सिंगोली तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
17. केशरीमल धाकड पुत्र कन्हैयालाल धाकड जाति धाकड निवासी ग्राम चल्दुताल तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
18. पारसमल धाकड पुत्र रामेश्वरलाल धाकड जाति धाकड निवासी ग्राम मेघपुरा गोड तहसील सिंगोली जिला निमच मध्य प्रदेश।
19. रश्मि जैन पत्नि सुनील कुमार जैन [illegible] बीराव तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
20. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

.................अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत।

अप्रार्थी:– 01 से 14 व 16 से 19 एकतरफा कार्यवाही,
20 पेरोकार सरकार।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक – 14.08.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम बालेछा प0ह0 मेघनिवास तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 96 खसरा संख्या 185/62 कुल किता 01 कुल रकबा 0.68है0 लगानी 1.69 पैसे जो खाते मे मुझ प्रार्थी के खाते नाम दर्ज रिकार्ड है , जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात की आराजी संख्या 185/62 पर आने जाने का रास्ता ग्राम बालेछा की खाता संख्या 46 खसरा संख्या 76 रकबा 0.66है0 कृषि आराजी जो अप्रार्थीगण संख्या 01 से 19 के नाम खाते दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से होकर कोटा नीमच रोड की आराजी संख्या 19 मैन रोड दर्ज है, पर जाकर मिलता है, लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 01 से 19 प्रार्थीया की उक्त आराजी संख्या 185/62 पर आने जाने नही दे रहे है, जिससे मैं प्रार्थीया अपने खाते की कृषि आराजीयात पर आ जा नही पा रही है तथा वर्तमान में मेरे खाते की कृषि भूमि पडत पडी हुई है।अप्रार्थी संख्या 01 से 19 राज्य सरकार के खाते की कृषि आराजी संख्या 76 में प्रार्थीया के खेत पर आने जाने का रास्ता बना हुआ है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीया कदीबी समय से करती चली आ रही है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 19 आये दिन रास्ते को बंद कर देते है तथा मुझ प्रार्थीया के आने जाने में अवरोध उत्पन्न कर रहे है, इसलिए आये दिन परेशानियों का सामना करना पडता है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र रास्ता कायम करने हेतु पेश किया है। अन्त में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम बालेछा की आराजी संख्या 185/62 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 19 के खाते की आराजी संख्या 76 में रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 से 14 व 16 से 19 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 14 व 16 से 19 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 15 ने रास्ता कायम करने हेतु सहमति व्यक्त कर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अप्रार्थी संख्या 20 पेरोकार सरकार दिनांक 27.07.2024 को जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम बालेछा प0ह0 मेघनिवास की आराजी संख्या 185/62 रकबा 0.68है0 भूमि सीमा बाई पत्नि सुनील कुमार जैन जाति जैन हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी संख्या 185/62 पर पहुंचने के लिए रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त आराजी में आने जाने हेतु सिंगोली–रतनगढ मुख्य सड़क से आराजी संख्या 76 से होकर अपनी कृषि आराजी में आने–आने हेतु मार्ग प्रस्तावित है। प्रार्थीया के ग्राम बालेछा प0ह0 मेघनिवास के आराजी संख्या 76 रकबा 0.66है0 भूमि जो अंगूरबाला शर्मा वगैरह के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड हैं, मे से रास्ता चाहा गया है। आराजी संख्या 185/62 पर पहुंचने के लिए आराजी संख्या 76 के मार्ग में कोई पक्का निर्माण नहीं है। प्रस्तावित मार्ग में कोई कुआं/ट्यूबवेल नहीं है। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि आराजी संख्या 76 में लम्बाई 16 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर ... पर 15 X5=75 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित ... प्रचलन डीएलसी दर 1473492 रू प्रति हैक्टयर अथवा 147.34 रू प्रति वर्गमीटर ... प्रयुक्त ... में आने वाली कुल भूमि 75 वर्गमीटर है। अतः प्रचलन ... दर से ... 75 X147.34=11051.19/– रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क 11052 X2=2210... रूपये का भुगतान संबंधित को करना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Scanned with CamScanner

हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा वे वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 से 19 की आराजी संख्या 76 से रास्ता चाहा गया। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षीगण खातेदार को देने को तैयार है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु कम दूरी का अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा–251 (क) बाबत ग्राम बालेछा प0ह0 मेघनिवास तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ की जमाबंदी सम्वत 2076–79 की खाता संख्या 96 खसरा संख्या 185/62 रकबा 0.68है0 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 से 19 की आराजी संख्या 76 में से जो न्यूनतम दूरी का मार्ग होने से तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 75 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 1473492/रू. अनुसार कीमत 11052/रू. की दुगुनी दर से राशि 22104/रू. (अक्षरे रूपये बाईस हजार एक सौ चार रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार को किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थीया को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 01 से 19 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.29 12:38:46 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

Scanned with CamScanner